2.	अनुसूची II के अनुच्छेद 6 के खण्ड (b) में निर्दिष्ट आपूर्ति कर्ता द्वारा आपूर्ति। [रेस्टॉरेन्ट सेवा]	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश** में कुल बिक्री का $2\frac{1}{2}$ %[16]
3.	केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर (CGST) नियम, 2017 के CGST अधिनियम की धारा 10 तथा अध्याय II [समायोजन नियम] के तहत समायोजन लेवी के योग्य कोई भी अन्य आपूर्तिकर्ता	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश** में वस्तुओं की करयोग्य आपूर्ति की कुल बिक्री का $\frac{1}{2}$%[17]

*** **राज्य में कुल बिक्री/केन्द्रशासित प्रदेश** में कुल बिक्री का आशय सभी करयोग्य आपूर्तियों (आन्तरिक आपूर्तियाँ जिन पर व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करना होता है के मूल्य के अलावा) का कुल मूल्य और कर योग्य व्यक्ति द्वारा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के भीतर की गयी करमुक्त आपूर्तियाँ उस कर योग्य व्यक्ति द्वारा राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश से वस्तु या सेवाओं या दोनों का निर्यात तथा वस्तु या सेवाओं या दोनों की अन्तर्राज्यीय आपूर्तियाँ लेकिन केन्द्रीय कर, राज्य कर, केन्द्र शासित कर, एकीकृत कर और उपकर को छोड़कर। [CGST अधिनियम, 2017 की धारा 2(112)]*

- **कम्पोजीशन स्कीम के विकल्प की सूचना नियम 3 और 4** [Intimation of opting for composition levy (Rules 3 & 4)]

(i) पंजीयन के आवेदनकर्ता द्वारा सूचना (Intimation by person applying for registration) : कोई अपंजीकृत व्यक्ति जो पंजीयन के लिये आवेदन कर रहा है, कम्पोजीशन स्कीम के अधीन कर भुगतान के विकल्प प्रारूप GST REG 01 के भाग B में उल्लेख द्वारा स्वीकार कर सकता है।

उसी को कम्पोजीशन स्कीम के अधीन सूचना प्रदान करना समझा जायेगा ऐसी सूचना पर पंजीयन के अनुमोदन के पश्चात ही विचार किया जायेगा और ऐसा विकल्प पंजीयन की प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

(ii) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा सूचना (Intimation by a registered person) : यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति कम्पोजीशन स्कीम के अधीन कर भुगतान के विकल्प को अपनाना चाहता है, निर्धारित प्रारूप में कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रस्तुत कर सकता है। इस वित्त वर्ष से पूर्व जिसके लिये विकल्प अपनाना चाहता है, CGST नियमावली, 2017 के नियम 44 (4) के अधीन वह निर्धारित प्रारूप में एक विवरण भी प्रस्तुत करेगा। अध्याय–6 इनपुट टैक्स क्रेडिट में विस्तृत रूप से विवेचित है। प्रासंगिक वित्त वर्ष के प्रारम्भ के 60 दिनों के अन्दर व्यवस्था के स्थान के सम्बन्ध में किसी सूचना का आशय उसी PAN के अधीन पंजीकृत अन्य सभी व्यावसायिक स्थलों से माना जायेगा।

[16] प्रभावी दर 5 % (CGST + SGST/UTGST)

[17] प्रभावी दर 1 % (CGST + SGST/UTGST)

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पोजीशन स्कीम के अधीन कर भुगतान का विकल्प आगामी वित्त वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावित होगा।

इस प्रकार, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति वित्तीय वर्ष के किसी भी समय कंपोजीशन का विकल्प चुन सकता है और कंपोजीशन उदग्रहण प्रभावी होगी जिसमें से पंजीकरण प्रभावी है। एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है और कंपोजीशन उदग्रहण उक्त वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रभावी होगी।

कम्पोजीशन के लिये शर्तें और प्रतिबंध (नियम 5) [Conditions and restrictions for composition levey (Rule 5)]

कम्पोजीशन विकल्पधारी व्यक्ति को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना होगा :

- वह आकस्मिक करदाता और अनिवासी कर दाता नहीं हों [आकस्मिक करदाता और अनिवासी करदाता की अवधारणा अध्याय–7 के शीर्षक–पंजीयन में विस्तृत विवेचित है।]
- उसके पास रहतिया के माल का क्रय अपंजीकृत पूर्तिकर्ता से नहीं किया गया है, और क्रय किया गया है, वह प्रतिलोमी धारा 9(4)[18] प्रभार के अधीन कर भुगतान के लिये दायी होगा।
- धारा 9(3)/9(4)[19] के तहत माल सेवाओं या दोनों की आवक आपूर्ति पर, प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर भुगतान करेगा।
- पिछले वित्त वर्ष में वह धारा 10(2)(e) में उल्लिखित माल के निर्माण में नहीं लगा हुआ है निम्नांकित माल इस सम्बन्ध में अधिसूचना सं. 14/2019 दि. 07.03.2019 द्वारा अधिसूचित किये गये हैं :

---

18 यह स्थिति उस स्थिति में लागू होती है, जहां किसी बिल्डर/प्रमोटर ने कंपोजीशन स्कीम का चयन किया है, जिसके पास सामान का स्टॉक है, जिस पर उसे निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में धारा 9(4) के तहत रिवर्स चार्ज के आधार पर GST का भुगतान करना होगा—

(i) बिल्डर/प्रमोटर को पंजीकृत व्यक्तियों से कम से कम 80% इनपुट और इनपुट सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग किया जाना चाहिए। कमी के मामले में, उसे ऐसे सभी आवक आपूर्ति (पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से आवक आपूर्ति के 80% से कम तक) पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा।

(ii) जहां एक पंजीकृत व्यक्ति से सीमेंट प्राप्त होता है, प्रमोटर/बिल्डर को रिवर्स चार्ज के लिए ऐसे सीमेंट की आपूर्ति पर कर का भुगतान करना पड़ता है और

(iii) प्रमोटर द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर पूंजीगत वस्तुओं पर GST देय है।

19 जहां भी लागू हो

© The Institute of Chartered Accountants of India

टैरिफ मदें, उपशीर्षक शीर्षक या अध्याय *	विवरण
2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य भोज्य आइस चाहे उसमें कोका निहित हो या नहीं
2106 90 20	पान मसाला
24	सभी माल, अर्थात् तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापन

*सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में जैसा निर्दिष्ट है।

- वह अपने निम्नांकित प्रत्येक पूर्ति बिलों के ऊपर उल्लेख करेगा कम्पोजीशन कर योग्य व्यक्ति, पूर्तियों पर कर संग्रह के लिये ग्राह्य नहीं है, और
- वह अपने प्रत्येक नोटिस, साइनबोर्ड पर कम्पोजीशन कर योग्य व्यक्ति शब्दों का उल्लेख कराकर अपने सभी व्यावसायिक स्थलों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

कम्पोजीशन स्कीम का चयन करने के लिए कौन योग्य नहीं है? [धारा 10(2)]
[Who are not eligible to opt for composition scheme? {Section 10(2)}]

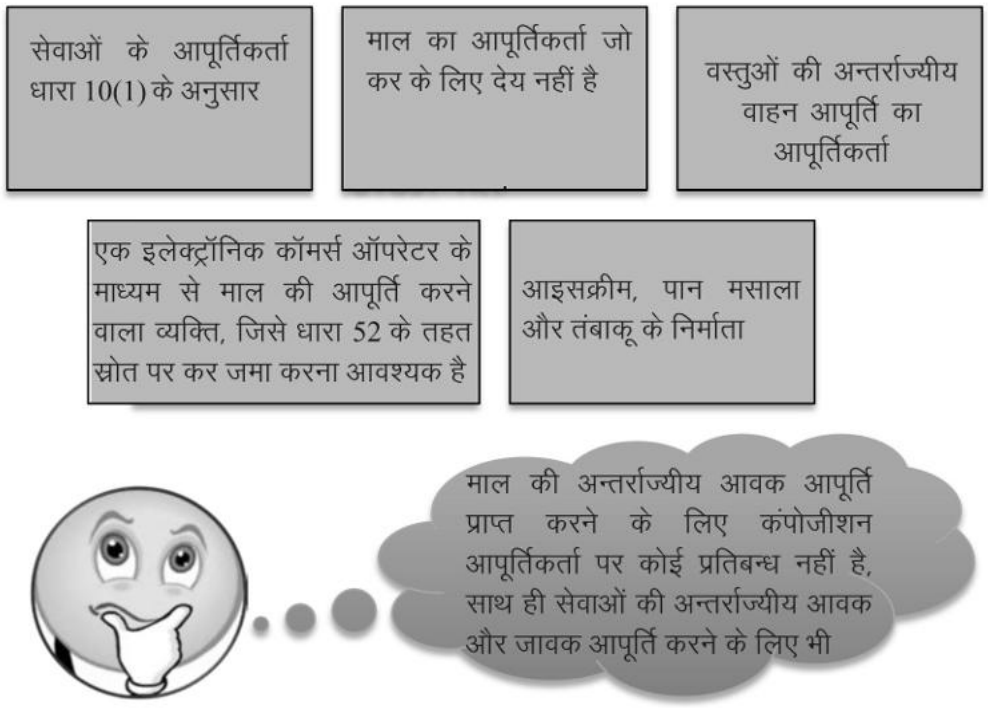

माल या रेस्तरां सेवाओं की आपूर्ति के साथ–साथ रेस्तरां सेवा के अलावा अन्य सेवाओं की सीमांत आपूर्ति में संलग्न एक व्यक्ति [धारा 10(2) (a) के साथ पढ़ा जाने वाला धारा 10(1) का दूसरा प्रावधान]।

© The Institute of Chartered Accountants of India

मूल रूप से, कंपोजीशन स्कीम का लाभ माल के संबंध में लिया जा सकता है और केवल एक सेवा अर्थात्, रेस्तरां सेवा, हालांकि, ऐसे मामले हैं जहां एक निर्माता/व्यापारी भी रेस्तरां सेवा के अलावा अन्य सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ है, हालांकि माल की आपूर्ति की तुलना में सेवाओं की आपूर्ति का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहां एक रेस्तरां सेवा प्रदाता अन्य सेवाओं के छोटे प्रतिशत की आपूर्ति करने में भी संलग्न है।

इस तरह के करदाताओं को कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, धारा **10(1)** के लिए दूसरा प्रावधान, माल और **1** या रेस्तरां सेवा की आपूर्ति के साथ–साथ एक निर्दिष्ट मूल्य के लिए सेवाओं (रेस्तरां सेवाओं के अलावा) की सीमांत आपूर्ति की अनुमति देता है, के रूप में जैसा भी मामला हो सकता है। यह निर्दिष्ट मूल्य से अधिक नहीं है—

(a) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कारोबार का **10%**

या

(b) **₹ 5** लाख

जो कोई अधिक हो।

इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां कंपोजीशन स्कीम के लिए पंजीकृत व्यक्ति का कारोबार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में **₹ 50** लाख तक है, वह चालू वित्त वर्ष में अधिकतम **₹ 5** लाख तक की सेवाओं [रेस्तरां सेवाओं के अलावा] की आपूर्ति कर सकता है। इसके अलावा, जहां कंपोजीशन स्कीम के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति का टर्नओवर **₹ 50** लाख से अधिक है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में **₹ 1.5** करोड़ तक है, वह चालू वित्त वर्ष में सेवाओं [रेस्तरां सेवाओं के अलावा] पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कारोबार का अधिकतम **10%** तक आपूर्ति कर सकता है।

उदाहरण रामसेवक सामानों की आपूर्ति में लगा हुआ है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उनका कुल कारोबार ₹ 60 लाख है। चूंकि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार ₹ 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, इसलिए वह चालू वित्त वर्ष में कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्य है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में, वह सेवाओं की आपूर्ति कर सकता है [रेस्तरां सेवाओं के अलावा] एक से अधिक मूल्य नहीं :

(a) ₹ 60 लाख का 10% यानि ₹ 6 लाख

या

(b) ₹ 5 लाख

जो कोई अधिक हो। इस प्रकार वह चालू वित्त वर्ष में ₹ 6 लाख तक की सेवाओं की आपूर्ति कर सकता है। यदि आपूर्ति की गई सेवाओं का मूल्य ₹ 6 लाख से अधिक है, तो वह कंपोजीशन स्कीम के अयोग्य हो जाता है और उसे कंपोजीशन स्कीम से बाहर होना पड़ता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए कुल कारोबार की गणना करते समय ब्याज आय को बाहर रखा जाना चाहिए।

आमतौर पर, व्यवसाय जमा, ऋण तथा अग्रिम के रूप में पैसा बचाने और निवेश करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि, इस तरह वे जमा, ऋण या अग्रिम[20] के माध्यम से सेवा की आपूर्ति में लगे हुए हैं—रेस्तरां सेवा के अलावा एक सेवा। और जहां इस तरह की सेवाओं से आय का कारण सेवाओं के मूल्य[21] की आपूर्ति की जाती है, जो धारा **10(1)** में निर्दिष्ट मूल्य से अधिक है [राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कारोबार का **10%** या ₹ **5** लाख, जो भी अधिक हो] कहा जाता है कि व्यवसाय कंपोजीशन स्कीम से बाहर होना पड़ता है। इससे छोटे व्यवसायों को बहुत कठिनाई हो सकती है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, आदेश संख्या **01/2019 (T)** दिनांक **01.02.2019** को यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया है कि जमा राशि, ऋण या अग्रिम के माध्यम से छूट सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य जहां तक प्रतिफल का प्रतिनिधित्व किया जाता है, ब्याज या छूट, खाते में नहीं ली जाएगी।

(i) धारा **10(1)** के दूसरे प्रावधान के तहत कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए। इस प्रावधान के तहत, कंपोजीशन स्कीम के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति सेवाओं की आपूर्ति कर सकता है [रेस्तरां सेवाओं के अलावा] किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कारोबार का **10%** से अधिक या ₹ **5** लाख, जो भी अधिक हो।

इस प्रकार धारा **10(1)** के दूसरे प्रावधान के रूप में [रेस्तरां सेवाओं के अलावा] सेवाओं के मूल्य की गणना करते समय, ऋण/जमा/अग्रिमों पर ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(ii) कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए समग्र कारोबार की गणना करना।

कंपोजीशन उदग्रहण की वैधता [धारा 10(3) नियम 6 के साथ पढ़ें]

I. एक करदाता द्वारा कंपोजीशन स्कीम से निकासी जो निर्धारित शर्तों में से किसी को संतुष्ट करने से बंद हो जाती है।

✍ कंपोजीशन उदग्रहण के तहत राशि का भुगतान करने के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक वैध रहेगा जब तक वह संबंधित अनुभाग और नियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा नहीं करता। उदाहरण के लिए, कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प उस दिन से चूक जाता है जिस दिन किसी पंजीकृत व्यक्ति का

---

[20] हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से सेवाओं को अब तक ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल किया जाता है, GST से छूट दी गई है—अध्याय 4 में विस्तार से चर्चा की गई है—GST में छूट।

[21] रेस्तरां सेवाओं के अलावा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कुल कारोबार वित्तीय वर्ष के दौरान निर्दिष्ट सीमा [₹ 1.5 करोड़/₹ 75] से अधिक हो जाता है।

✍ ऐसे व्यक्ति की धारा 9(1) के तहत नियमित योजना के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिस दिन से वह कंपोजीशन उदग्रहण के लिए निर्धारित शर्तों में से किसी को संतुष्ट करने बन्द हो जाता है। वह उसके बाद किए गए प्रत्येक कर योग्य आपूर्ति के लिए कर चालान जारी करेगा। इसके अलावा, उन्हें इस तरह की घटना के 7 दिनों के भीतर योजना को वापस करने के लिए एक सूचना दाखिल करने की आवश्यकता है।

✍ प्रभावी योजना, जिसमें से कंपोजीशन स्कीम को वापस लेना प्रभावी होगा, उसके द्वारा सूचित की गई तारीख होगी, लेकिन ऐसी तारीख वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले नहीं हो सकती है जिसमें ऐसी सूचना दायित्व[22] की जा रही है।

II. करदाता द्वारा कंपोजीशन स्कीम से हटना जो उक्त स्कीम से हटने का इरादा रखता है।

✍ पंजीकृत व्यक्ति जो कंपोजीशन स्कीम से हटने का इरादा रखता है, इस तरह की निकासी की तारीख से पहले, निर्धारित फॉर्म में एक आवेदन दाखिल करेगा।

✍ प्रभावी योजना जिसमें से वापसी की योजना लागू होगी, उसके आवेदन में उसके द्वारा बताई गई तारीख होगी, लेकिन ऐसी तारीख वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पहले नहीं हो सकती है जिसमें निकासी के लिए ऐसा आवेदन दायर किया जा रहा है[23]।

III. कर अधिकारियों द्वारा कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प का अस्वीकार।

✍ जहां उचित अधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि पंजीकृत व्यक्ति कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने के लिए योग्य नहीं था या उसने CGST अधिनियम के प्रावधानों या इस अध्याय के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, वह ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी कर सकता है। SCN के जबाव के प्राप्त होने पर, वह या तो उत्तर को स्वीकार करने के लिए एक आदेश पारित करेगा, या विकल्प की तारीख से या इस तरह के उल्लंघन से सम्बन्धित घटना की तारीख से कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प से इनकार कर सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है।

---

[22] परिपत्र संख्या 77/51/2018 पत्र दिनांक 31-12-2018

[23] परिपत्र संख्या 77/51/2018 पत्र दिनांक 31-12-2018

© The Institute of Chartered Accountants of India

✍ **कर प्राधिकारियों द्वारा कंपोजीशन उदग्रहण के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प के इनकार के मामले में, इस तरह के इनकार की प्रभावी तिथि किसी भी पूर्वव्यापी तिथि सहित किसी तिथि से होगी, जैसा कि कर अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी प्रभावी तिथि CGST अधिनियम/CGST नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की तारीख से पहले नहीं होगी[24] ।**

उपर्युक्त मामलों में से प्रत्येक में ऐसा व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें स्टॉक में रखे गए इनपुट और इनपुट के स्टॉक का ब्यौरा होता है, या स्टॉक में उसके द्वारा रखे गए माल को उस तारीख पर रखा जाता है, जिस पर विकल्प वापस ले लिया जाता है/इनकार कर दिया जाता है, उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर या कंपोजीशन स्कीम से इनकार करने वाले आदेश की तारीख से वापस ले लिया गया है।

उदाहरण वित्तीय वर्ष के दौरान कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने वाला व्यक्ति दिसंबर की 9 तारीख को ₹ 1.5 करोड़ का कारोबार पार कर जाता है। इस विकल्प का लाभ उस दिन से होगा, जिस दिन वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल कारोबार ₹ 1.5 करोड़ से अधिक होता है अर्थात् इस मामले में 9 दिसंबर को।

- **एकल PAN के अधीन पंजीकृत सभी कर योग्य व्यक्तियों द्वारा कम्पोजीशन स्कीम समान रूप से अंगीकृत की जायेगी [धारा 10 (2) का उपबन्ध]** [Composition scheme to be adopted uniformly by all the registered persons having the same PAN {Proviso to section 10(2)}]

ऐसे सभी पंजीकृत व्यक्ति, जिनका एकल PAN है, एक साथ कम्पोजीशन का विकल्प स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा एक भी पंजीकृत व्यक्ति नियमित कर भुगतान का विकल्प स्वीकार करता है, तब, अन्य कम्पोजीशन विकल्प के लिये अपात्र हो जाएंगे।

उदाहरण एक डीलर चम्पकलाल के दिल्ली में दो कार्यालय हैं, और वह कम्पोजीशन स्कीम का पात्र भी है। यदि चम्पकलाल कम्पोजीशन स्कीम का विकल्प अपनाता है, तब, दोनों कार्यालय कम्पोजीशन के अधीन कर भुगतान करेंगे और कम्पोजीशन स्कीम के लिये निर्धारित सभी शर्तों की संन्तुष्टि के लिये भी बाध्य रहेंगे।

- **कम्पोजीशन विकल्पधारी कर संगृहीत नहीं कर सकता है। [धारा 10 (4)]** [Composition scheme supplier cannot collect tax {Section 10(4)}]

कम्पोजीशन विकल्पधारी व्यक्ति अपने द्वारा की गयी पूर्तियों पर प्राप्तकर्ता से कोई कर संग्रह नहीं करेगा। इसका आशय है कि कम्पोजीशन विकल्प धारी पूर्तिकर्ता कर बीजक का निर्गमन नहीं कर सकता है।

[24] परिपत्र संख्या 77/51/2018 GST दिनांक 31.12.2018

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **कम्पोजीशन विकल्पधारी क्रेडिट श्रृंखला प्रवेश नहीं कर सकता है [धारा 10 (4)]**
  [Composition scheme supplier cannot enter into credit chain {Section 10(4)}]
  कम्पोजीशन विकल्प धारी को इनपुट्स टैक्स क्रेडिट का अधिकार नहीं होगा।

- **कम्पोजीशन स्कीम के अनियमित उपयोग या अर्थदण्ड का आरोपण [धारा 10 (5)]**
  [Imposition of penalty in case of irregular availment of the composition scheme {Section 10(5)]

  ✍ यदि कोई कर योग्य व्यक्ति, कम्पोजीशन स्कीम के लिये अपात्र होते हुए भी कम्पोजीशन के अधीन कर भुगतान करता है, ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के लिये दायी होगा और CGST ACT की धारा 73 या 74 के प्रावधानों के अधीन अर्थदण्ड और कर का निर्धारण किया जायेगा।

उदाहरण (Illustration)

करदाता 'तोलाराम' एक निर्माता है जिसकी एक इकाई A1, UP में तथा अन्य एक इकाई – A2, MP में है। पिछले वित्तीय वर्ष की दोनों इकाइयों कि कुल बिक्री ₹ 115 लाख (₹ 85 लाख + ₹ 30 लाख) है। इकाई A1 तथा A2 की इस वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में कुल बिक्री क्रमशः ₹ 5 लाख तथा ₹ 10 लाख है। करदाता 'तोलाराम' की समायोजन लेवी के तहत देय राशि की गणना करें।

उत्तर (Answer)

इकाई	स्थान	पिछले वित्त वर्ष मे कुल बिक्री	इस वित्त वर्ष के द्वितीय तिमाही में कुल बिक्री	कुल कर (@1%)
A 1	U. P.	₹ 85 लाख	₹ 5 लाख	₹ 5,000
A 2	M. P.	₹ 30 लाख	₹ 10 लाख	₹ 10,000
कुल बिक्री		₹ 115 लाख	₹ 15 लाख	

6. रियायती दर पर कर जमा करने का विकल्प अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) दिनांक 07.03.2019 (Option to Pay Tax at Concessional Rate Under Notification No. 2/2019 CT(R) (dated 07.03.2019)

- **योजना का अवलोकन**

जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि मुख्य रूप से, कंपोजीशन स्कीम माल के संबंध में और केवल एक सेवा अर्थात् रेस्तरां सेवा के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, माल और/या रेस्तरां सेवा की आपूर्ति के

साथ अन्य सेवाओं की सीमांत आपूर्ति की अनुमति है। हालांकि, रेस्तरां सेवा के अलावा अन्य सेवाओं की आपूर्ति में विशेष रूप से संलग्न एक व्यक्ति कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्य नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए, रियायती दर पर कर का भुगतान करने की योजना मुख्य रूप से सैलून स्टाइलिस्ट, दर्जी आदि जैसे छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए बनाई गई है जो अन्यथा कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्य नहीं है। यह योजना अधिसूचना संख्या **2/2019 CT(R)** दिनांक **07.03.2019** में संशोधित है।

यह अधिसूचना एक पंजीकृत व्यक्ति को एक विकल्प प्रदान करती है, जिसका

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹ **50** लाख तक है और जो कंपोजीशन स्कीम के तहत **3%** की दर से कर का भुगतान करने के लिए योग्य नहीं है [प्रभावी दर **6%** **(CGST + SGST/UTGST)** निर्दिष्ट

शर्तों के अधीन, किसी भी वित्तीय वर्ष में **1** अप्रैल के बाद/पहले किए गए ₹ **50** लाख के कुल कारोबार तक माल और/या सेवाओं की आपूर्ति पर।

इस योजना को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है—

- कौन व्यक्ति कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्य नहीं है, लेकिन अधिसूचना संख्या **2/2019 CT (R)** के लिए योग्य नहीं है ?

एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹ **50** लाख से अधिक नहीं है और जो विशेष रूप से रेस्तरां सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ है।

- शर्तों को पूरा किया जाना है।

अधिसूचना संख्या **2/2019 CT(R)** के तहत कर की रियायती दर का लाभ उठाने की शर्तें मुख्य रूप से कुछ अपवादों के साथ कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने की शर्तें हैं। उसी को निम्नानुसार विस्तृत किया गया है—

1. आपूर्ति एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो है—
   - ऐसी किसी भी आपूर्ति को बचाने में संलग्न नहीं है जो उक्त अधिनियम के तहत कर लगाने योग्य नहीं है। कंपोजीशन स्कीम के तहत, प्रतिबंध केवल उन वस्तुओं की आपूर्ति पर है जो कर के लिए देय नहीं है।
   - किसी भी अन्तर्राज्यीय जावक आपूर्ति बनाने में नहीं लगे हुए हैं न तो माल की और न ही सेवाओं की। यह स्थिति कंपोजीशन स्कीम का एक विचलन है जहां प्रतिबंध केवल वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय जावक आपूर्ति करने पर है, न कि सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक आपूर्ति पर।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- न तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और न ही अनिवासी कर योग्य व्यक्ति।
- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से कोई भी आपूर्ति करने में संलग्न नहीं है, जिसे धारा **52** के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।
- आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ की आपूर्ति करने में संलग्न नहीं है, चाहे कोकोआ **[2015 00 00],** पान मसाला **[2106 9020]** और अध्याय **24** के सभी समान, अर्थात तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के विकल्प है या नहीं। कंपोजीशन स्कीम के तहत शर्त यह है कि आपूर्तिकर्ता को अधिसूचित सामानों के निर्माण में नहीं लगाया जाना चाहिए।

2. पंजीकृत व्यक्ति प्राप्तकर्ता द्वारा उसके द्वारा दी गई आपूर्ति पर कोई कर जमा नहीं करेगा और न ही वह इनपुट टैक्स के किसी भी क्रेडिट का हकदार होगा।

3. पंजीकृत व्यक्ति कर चालान के बजाय आपूर्ति का बिल जारी करेगा। आपूर्ति के ऐसे बिल में निम्नलिखित शब्द होंगे—

*अधिसूचना संख्या **2/2019 CT (R)** दिनांक **07-03-2019** के अनुसार कर का भुगतान करने वाले कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर जमा करने के लिए योग्य नहीं है।

आदेश संख्या **03/2019 (7 दिनांक **08.03.2019** ने स्पष्ट किया है कि **CGST** अधिनियम, **2017** की धारा **31(3) (C)** के प्रावधान [आपूर्ति के बिल से संबंधित प्रावधान] इस सूचना के तहत एक व्यक्ति के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर भी लागू होंगे[25]।

- अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1. जहां एक से अधिक पंजीकृत व्यक्तियों के पास एक ही **PAN** है, ऐसे सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति पर कर इस अधिसूचना के तहत रियायती दर पर भुगतान किया जाता है।

2. इस अधिसूचना के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा—

- सभी बाहरी आपूर्ति पर **(CGST @ 3% + SGST/UTGST @ 3%**— किसी भी वित्तीय वर्ष में या पहली अप्रैल को या उसके बाद किए गए ₹ **50** लाख के कुल कारोबार तक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति भले ही ऐसी आपूर्ति या धारा **9(1)** के तहत जारी किसी भी अधिसूचना से कर से छूट की परवाह किए बिना।

---

[25] चूंकि धारा 31(3) (C) केवल एक कंपोजीशन आपूर्तिकर्ता पर लागू होती है। इस खण्ड के अध्याय 8 में विस्तार से चर्चा की गई है—कर चालान; क्रेडिट और डेबिट नोट; ई–वे बिल।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- आवक आपूर्ति पर कर, जिस पर वह लागू दरें पर धारा **9(3)/9(4)** (रिवर्स चार्ज) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

3. इस अधिसूचना के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति की योग्यता निर्धारित करने के लिए समग्र टर्नओवर की गणना करने में; जमा राशि, ऋण या अग्रिम के माध्यम से छूट सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य जहां तक प्रतिफल का प्रतिनिधित्व किया जाता है या छूट, खाते में नहीं लिया जाएगा।

4. जहां कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जिसने **ITC** का लाभ उठाया है, वह इस अधिसूचना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाताबही या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाताबही में डेबिट के माध्यम से राशि का भुगतान करेगा।

कही गयी राशि स्टॉक में रखे गए इनपुट के संबंध में **ITC** के समतुल्य होगी और स्टॉक में और पूंजीगत वस्तुओं पर रखे गए अर्ध–तैयार या तैयार माल में इनपुट ऐसे होंगे जैसे कि इस अधिसूचना के तहत की गई आपूर्ति धारा **18(4)** के प्रावधानों को **CGST** अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों को आकर्षित करती है।

इस तरह की राशि के भुगतान के बाद, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस, यदि कोई हो, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में झूठ बोलना बंद हो जाएगा। धारा **18(4)** और संबंधित नियमों के बारे में अध्याय **6** में विस्तार से चर्चा की गई है—इनपुट टैक्स क्रेडिट।

5. कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर लागू होने वाले **CGST** नियम, **2017** इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं।

माल या सेवाओं या दोनों की पहली आपूर्ति, इस अधिसूचना के तहत किसी व्यक्ति को कर का भुगतान करने की योग्यता का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष की **1** अप्रैल से उस तारीख तक की आपूर्ति को शामिल करती है, जहां से वह उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी बन जाता है।

लेकिन इस अधिसूचना के तहत देय कर के निर्धारण के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से उस तारीख तक आपूर्ति को शामिल नहीं किया जाएगा, जहां से वह अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

7. आओ दोहराएं (Let us Recapitulate)

1. CGST/SGST/UTGST/IGST का उद्भव और विस्तार

प्रभावशीलता	CGST	SGST	UTGST	IGST
	राज्य के अन्दर पूर्ति			अन्तर्राज्यीय पूर्ति
भारतीय राज्य	√	√		√
विधानमण्डल सहित संघीय क्षेत्र	√	√		√

© The Institute of Chartered Accountants of India

विधानमण्डल के बिना संघीय क्षेत्र	√		√	√

2. CGST/IGST का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

विवरण	CGST	IGST
उद्गृहणीय	माल/सेवाओं की राज्य के अन्दर पूर्तियाँ	माल/सेवाओं की अन्तर्राज्यीय पूर्तियाँ
के द्वारा चुकता एवं संगृहीत	कर योग्य व्यक्ति	
कर के क्षेत्र से बाहर पूर्तियाँ	मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब	
करारोपण मूल्य	CGST Act की धारा 15 के अधीन संव्यवहार मूल्य	
दरें	सरकार द्वारा अधिसूचित दरें CGST की अधिकतम 20% होगी	IGST दर CGST दर + SGST दर (लगभग) IGST की अधिकतम दर 40% होगी।
ऐसी पूर्तियाँ जिन पर अधिसूचित तिथि से कर प्रभावी होगा।	♦ कच्चा पेट्रोलियम ♦ हाईस्पीड डीजल ♦ मोटर स्प्रिरिट (पेट्रोल नाम से लोकप्रिय) ♦ प्राकृतिक गैस, और ♦ हवाई ईंधन	
प्रतिलोमी प्रभार के अधीन देयकर	♦ परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित माल/सेवाओं की पूर्ति ♦ अपंजीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत प्राप्तकर्ता को माल/सेवाओं की पूर्ति	
ई–कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा देयकर	सरकार सेवाओं की ऐसी विशिष्ट श्रेणियाँ अधिसूचित कर सकती है। जिन पर पूर्ति पर कर का भुगतान ई–कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) द्वारा किया जायेगा, मानो उसके द्वारा पूर्ति की गयी है।	

3. **कम्पोजीशन करारोपण** [**धारा 10**] [Composition levy (Section 10)]

कम्पोजीशन करारोपण	लाभ
• विशिष्ट श्रेणियों के छोटे कर दाताओं के लिए आवर्त के आधार पर अल्पदर पर GST	• कर की नीची दर • ऐसे करदाताओं के लिए झंझट मुक्त सरल प्रक्रियाएँ

© The Institute of Chartered Accountants of India

भुगतान का विकल्प	• आवर्त के आधार पर सरल कर की गणना • अति सरल वार्षिक विवरणी

योजना के लिए चयन की प्रक्रिया

(Procedure for Opening for One Scheme)

व्यक्तियों की श्रेणी	विकल्प कैसे उपयोग करें	कंपोजीशन उदग्रहण के लिए प्रभावी तिथि
GST के तहत या पंजीकरण	पंजीकरण फॉर्म में सूचना	पंजीकरण की प्रभावी तिथि से
कंपोजीशन उदग्रहण चुनने वाला पंजीकृत व्यक्ति	निर्धारित फॉर्म में सूचना	वित्तीय वर्ष की शुरुआत

योजना का विकल्प चुनने के लिए टर्नओवर की सीमा

असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए	• ₹ 75 लाख
शेष राज्यों के लिए	• ₹ 1.5 करोड़

कर की दरें

पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी	दर
उत्पादक	1% (0.5% CGST + 0.5% SGST/UTGST)
भोजन का आपूर्तिकर्ता	5%
अन्य	1%

कंपोजीशन उदग्रहण के लिए शर्तें और प्रतिबन्ध

- व्यक्ति कंपोजीशन का चयन कर रहा है
- न तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति है और न ही अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
- आवक आपूर्ति पर धारा 9(3)/9(4) के तहत कर कर भुगतान करेगा
- अधिसूचित मात्र के निर्माण में संलग्न नहीं था
- उसके द्वारा जारी किए गए आपूर्ति के बिल के शीर्ष पर "कंपोजीशन कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर जमा करने योग्य नहीं "शब्दों का उल्लेख करना चाहिए
- व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर "कंपोजीशन कर योग्य व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करना चाहिए

© The Institute of Chartered Accountants of India

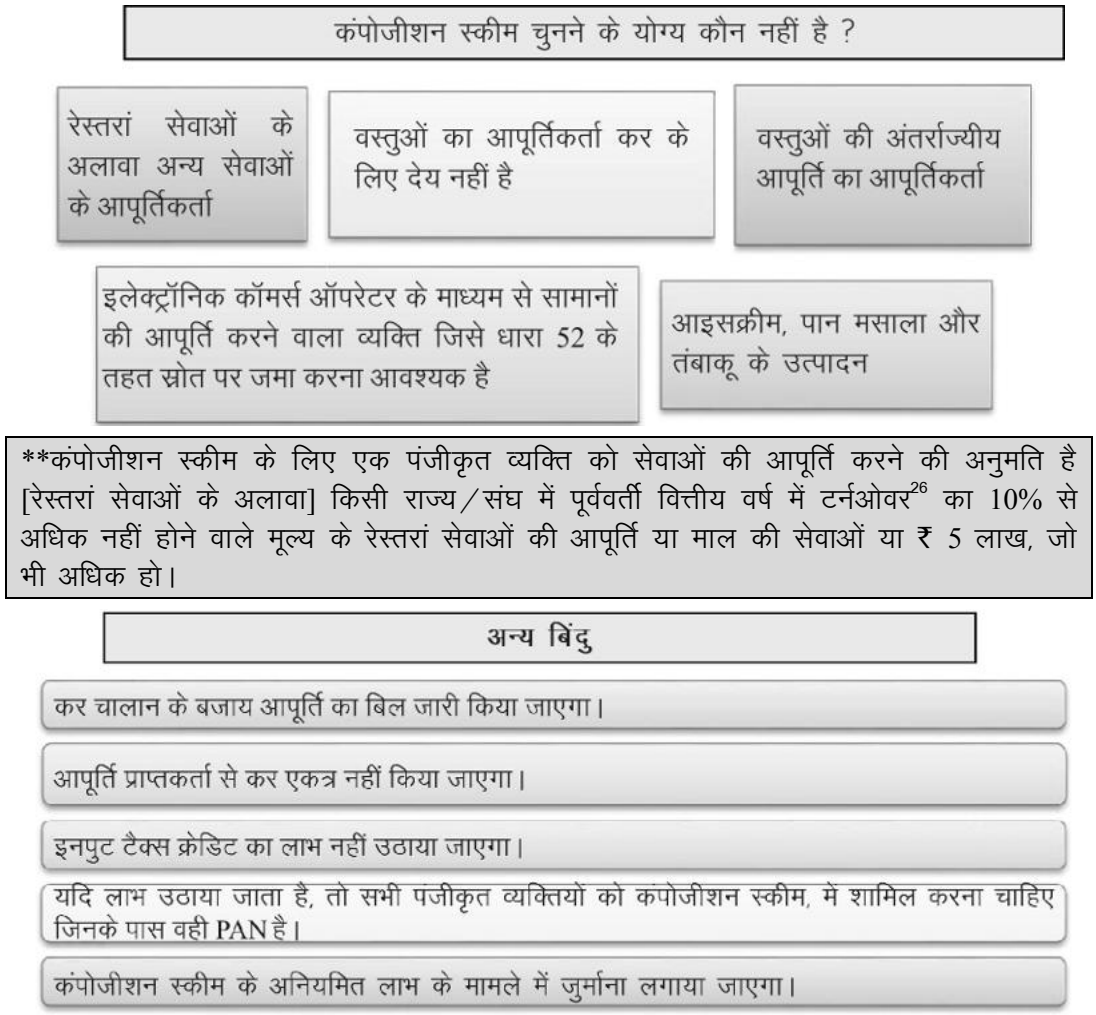

4. अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) दिनांक 07.03.2019 के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प।

[26] सेवाओं के मूल्य की गणना करते समय, ऋण/जमा/अग्रिम पर ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

रियायती दर पर रियायती कर का विकल्प

- पहले वित्तीय वर्ष में ₹ 5 लाख तक के टर्नओवर वाले छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए एक विकल्प जो कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्य नहीं है।
- कर का भुगतान करने के लिए @ 3% [प्रभावी दर 6% (CGST + SGST/UTGST)।
- निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल के बाद / पर किए गए ₹ 50 लाख के कुल कारोबार तक माल और / या सेवाओं की आपूर्ति पर।

कौन व्यक्ति कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्य नहीं है, लेकिन अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) के लिए योग्य हैं ?

एक पंजीकृत व्यक्ति

- जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है और
- जो विशेष रूप से रेस्तरां सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ है

अयोग्य आपूर्तिकर्ता

- आपूर्तिकर्ता न तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति है और न ही अनिवासी कर योग्य व्यक्ति है।
- आपूर्तिकर्ता कर की आपूर्ति के लिए देय नहीं है।
- अंतर्राज्यीय जावक आपूर्ति के आपूर्तिकर्ता न तो माल की और न ही सेवाओं की।
- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति जो धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।
- आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू के आपूर्तिकर्ता।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अन्य बिंदु
कर चालान के बजाय आपूर्ति / बिल जारी किया जाएगा।
आपूर्ति प्राप्तकर्ता से कर एकत्र नहीं किया जाएगा।
इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जाएगा।
समान PAN वाले सभी पंजीकृत व्यक्ति रियायती दर पर कर का इस अधिसूचना के तहत भुगतान करेंगे।
रियायती दर के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 9(3)/9(4) के तहत आवक आपूर्ति पर कर का भुगतान लागू दरों पर किया जाएगा।
इस योजना के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए समग्र कारोबार की गणना में ऋण / जमा / अग्रिम पर ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

8. अपने ज्ञान को परखें (Test Your Knowledge)

1. CGST Act के अधीन निर्धारित CGST की अधिकतम दर क्या है :
   (a) 20%
   (b) 28%
   (c) 24%
   (d) 40%
2. राज्य के अन्दर पूर्ति पर निम्नांकित में से कौन–सा कर लागू होता है?
   (a) CGST
   (b) SGST/UTGST
   (c) (a) और (b) दोनों
   (d) IGST
3. दिल्ली में कम्पोजीशन करारोपण की पात्रता के लिए पिछले वित्त वर्ष में कितने आवर्त की प्रारम्भिक सीमा है :
   (a) ₹ 50 लाख
   (b) ₹ 75 लाख
   (c) ₹ 80 लाख
   (d) ₹ 1.5 करोड़
4. सकल आवर्त में निम्नांकित का कौन–सा शामिल नहीं है?
   (a) माल / सेवाओं की विमुक्त पूर्तियाँ

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) माल/सेवाओं का निर्यात

(c) माल/सेवाओं की अन्तर्राज्यीय पूर्ति

(d) किस पर प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य आपूर्तियाँ

5. IGST लागू होता है?

(a) अन्तर्राज्यीय पूर्तियाँ

(b) राज्य के अन्दर पूर्तियाँ

(c) (a) और (b) दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

6. ..... माल/सेवाओं के आयात पर लागू होता है।

(a) IGST

(b) CGST और SGST

(c) CGST और UTGST

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं है।

7. IGST की अधिकतम दर हो सकती है?

(a) 20%

(b) 30%

(c) 40%

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

8. निम्नांकित में से किस माल की पूर्ति पर GST परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होगा :

(a) कच्चा पेट्रोलियम

(b) मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब

(c) (a) और (b) दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. निम्न पर प्रतिलोमी प्रभार के अधीन GST देय है :

(a) स्पोन्सरशिप सेवाएँ

(b) रेल द्वारा माल परिवहन

(c) हवाई मार्ग से यात्री परिवहन

(d) उपर्युक्त सभी

10. यदि प्राप्तकर्ता कर योग्य क्षेत्र में स्थित है तब निम्नांकित स्वतंत्र मामलों में GST भुगतान के लिए कौन दायी है :

(a) किसी व्यावसायिक निकाय को पंचायती ट्रिब्यूनल की सेवाएँ

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) किसी व्यक्ति को कम्पनी द्वारा प्रदत्त स्पोन्सरशिप सेवाएँ

(c) किसी व्यावसायिक निकाय का केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति को किराये पर देने की सेवाएं

11. हरियाणा में कम्पोजीशन स्कीम के लाभार्थी का वित्त वर्ष में आवर्त ₹ 1.5 करोड़ को पार कर लेता है अर्थात् उसका आवर्त दिसम्बर में ₹ 1.5 करोड़ था। क्या वह वर्ष के शेष भाग के लिए अर्थात् 31 मार्च तक के लिए, कम्पोजीशन स्कीम के अधीन कर भुगतान कर सकता है?

12. क्या निम्नांकित मामलों में पूर्तिकर्ता कम्पोजीशन करारोपण के लिए पात्र होगा बशर्ते उसका आवर्त गतवर्ष में ₹ 1.5 करोड़ से अधिक नहीं था।

(i) मोहन एण्टरप्राइजेज पान मसाला का व्यापार करता है, और वह उसी राज्य में पंजीकृत करता है।

(ii) सुगम मैन्यूफैक्चर्स का पंजीकृत कार्यालय पंजाब और हरियाणा में है, और पड़ोसी राज्यों में माल की पूर्तियाँ करता है।

13. मोहन एण्टरप्राइजेज के दिल्ली में दो व्यावसायिक प्रकल्प हैं, इन दोनों प्रकल्पों का पिछले वर्ष में कुल आवर्त ₹ 120 लाख था। एक प्रकल्प के लिए वह कम्पोजीशन के अधीन और दूसरे के लिए निर्गमित कर भुगतान करना चाहता है। आप परामर्श दीजिए कि क्या ऐसा किया जा सकता है।

उत्तर / संकेत (Answer/Hints)

1. (a) **2.** (c) **3.** (d) **4.** (d) **5.** (a) **6.** (a)
7. (c) **8.** (a) **9.** (a)

10. (a) किसी पंचाट (ट्रिब्यूनल) द्वारा प्रदत्त या सहमत सेवाएं किसी व्यावसायिक निकाय को प्रदान की जाती हैं, जो उस कर योग्य क्षेत्र में स्थित हैं प्रश्नगत मामले में प्रतिलोमी प्रभार के अधीन सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा GST देय है।

(b) किसी व्यक्ति द्वारा किसी निगमित निकाय को प्रदत्त स्पोन्सरशिप सेवाओं पर प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर देय है चूँकि, प्रश्नगत मामले में सेवाएं व्यक्ति को प्रदत्त हैं, प्रतिलोमी प्रभार के प्रावधान लागू नहीं होगा। पूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा GST देय है।

(c) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार संघीय क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या सहमत सेवाएँ हैं कर योग्य क्षेत्र स्थित व्यावसायिक निकाय को प्रदान करने पर, GST प्रतिलोमी प्रभार के अधीन देय है। किसी अंचल सम्पत्ति को किराये पर देना इसका अपवाद है। अतः इस मामले में प्रतिलोमी प्रभार लागू नहीं होगा। अतः पूर्तिकर्ता–केन्द्रीय सरकार द्वारा GST देय है।

11. नहीं। कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाता है जिस दिन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का कुल कारोबार निर्धारित सीमा (₹ 1.5 करोड़) से अधिक हो जाता है। एक बार जब वह

© The Institute of Chartered Accountants of India

सीमा पार कर लेता है, तो उसे इस तरह की घटना होने के 7 दिनों के भीतर स्कीम से निकासी के लिए निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना होता है।

प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस तरह की सूचना को प्रस्तुत किया है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है, निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण जिसमें इनपुट और स्टॉक के स्टॉक का विवरण होता है, जिस तिथि में उसके द्वारा स्टॉक में रखे गए अर्ध–तैयार या तैयार माल होता है। विकल्प वापस लिया जाता है उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर जिसमें से विकल्प वापस ले लिया जाता है।

12. (i) पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10(2) (e) के तहत अधिसूचित सामानी के निर्माण में लगे आपूर्तिकर्ता, कंपोजीशन स्कीम के योग्य नहीं है। आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थ, जिसमें कोकोआ, पान मसाला, तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प शामिल है या नहीं, इसके बारे में सूचित किया गया है। हालांकि, दिए गए मामले में, चूंकि मोहन एंटरप्राइजेज पान मसाला के व्यवसाय में लगा हुआ है और निर्माण नहीं कर रहा है और उसका टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, वह निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के लिए कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्य है।

(ii) चूँकि माल की बाह्य अन्तर्राज्यीय पूर्तिकर्ता कम्पोजीशन स्क्रीम के लिये पात्र नहीं है अतः सुगम मैनुफैक्चरर्स, कम्पोजीशन लेवी के पात्र नहीं हैं।

13. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्त वर्ष में सकल आवर्त ₹ 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, दिल्ली में कम्पोजीशन स्कीम का पात्र है चूँकि, मोहन एण्टरप्राइजेज का सकल आवर्त ₹ 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, वे चालू वर्ष में कम्पोजीशन स्कीम के पात्र हैं।

तथापि एकल PAN धारी सभी पंजीकृत व्यक्तियों को कम्पोजीशन का विकल्प अपनाना आवश्यक है। यदि कोई एक पंजीकृत व्यक्ति नियमित करारोपण का विकल्प स्वीकारता है, अन्य व्यक्ति कम्पोजीशन दोनों विकल्प के लिए अपात्र हो जाते हैं। अतः मोहन एण्टरप्राइजेज को अपने दोनों व्यावसायिक प्रकल्पों के लिये कम्पोजीशन स्कीम या नियमित करारोपण अपनानी होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India